कार्यालय सहायक अभियन्ता–प्रथम,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
जौनपुर।

दिनांक

पत्रांक /
सेवा में,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल,
वाराणसी।

विषयः– श्री आर0पी0इण्टरनेशनल स्कूल खजुरन ढेमा बदलापुर जौनपुर के भवन का भूकम्प रोधी प्रमाण–पत्र/जॉच आख्या निर्गत करने के सम्बंध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक एन0ओ0सी0/8092–95/2016–17 दिनांक 20.10.2016

महोदय,

आपके उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में श्री आर0पी0इण्टरनेशनल स्कूल खजुरन ढेमा बदलापुर जौनपुर के विद्यालय भवन की जॉच कर निर्धारित 22 बिन्दुओं की जॉच आख्या/प्रमाण–पत्र संलग्नकर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– जॉच आख्या/प्रमाण–पत्र

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड, लो0नि0वि0
जौनपुर।

दिनांक 29/11/16

पत्रांक 127 /1C
प्रतिलिपिः–
1– प्रबन्धक श्री आर0पी0इण्टरनेशनल स्कूल खजुरन ढेमा बदलापुर, जौनपुर, को सूचनार्थ प्रेषित।

29-11-16
सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड, लो0नि0वि0
जौनपुर।

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
जौनपुर।

पत्रांक/एन0ओ0सी0/ /2016–17 दिनांक 20/10/2016

विषयः–नेशनल बिल्डिंग कोड सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव उ0प्र0शासन शिक्षा–6 अनुभाग के पत्र दिनांक 20 जुलाई 2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न) जो सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0/प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा विभाग के विद्यालयो में अग्निशमन यंत्र स्थापित करने एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप भवन की अपयुक्तता के निर्देश दिये गये है।

शासनादेश के बिन्दु–6 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विद्यालयो में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप विद्यालय भवन की उपयुक्तता के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग, सिचाई विभाग, नगर विकास विभाग एवं आर0ई0एस0 के न्यूनतम जिस अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया जायेगा उनका विवरण निम्नवत् है–

| शिक्षण संस्था का स्तर | | ग्राउन्ड फ्लोर पर निर्मित विद्यालय | एक से अधिक मंजिल के विद्यालय |
|---|---|---|---|
| प्राइमरी | निरीक्षणकर्ता अभियन्ता | अवर अभियन्ता | सहायक अभियन्ता |
| माध्यमिक | | अवर अभियन्ता | सहायक अभियन्ता |
| उच्च शिक्षा | | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता |

उपरोक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि **श्री आर0पी0 इण्टरनेशनल स्कूल खजुरन ढेमा बदलापुर जौनपुर** के भवन की उपयुक्तता के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी यथा भूतल हेतु अवर अभियन्ता द्वारा एवं एक से अधिक मंजिल हेतु सहायक अभियन्ता द्वारा चेक बिन्दुओ पर परीक्षण कराकर संदर्भगत प्रकरण में इस आशय का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय कि **"उक्त भवन नेशनल बिल्डिंग कोड मानक 2005 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत उपयुक्त पाया गया है।"** के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या/प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

यह आदेश जनहित याचिका संख्या 483/04 अवनीश मेहरोत्रा बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.4.09 के अनुपालन में निर्गत है।

भवदीय

(ओंकार शुक्ल)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

पृ0सं0/एन0ओ0सी0/ 8092-95 /2016–17 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी के संज्ञानार्थ।
2. जिलाधिकारी जौनपुर।
3. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य श्री आर0पी0 इण्टरनेशनल स्कूल खजुरन ढेमा बदलापुर जौनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशानुसार प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

20/10/16

(ओंकार शुक्ल)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

Deep Ramakant
28-X-016

# न्यायालय उपजिलाधिकारी बदलापुर, जौनपुर।

वाद संख्या

धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006
सा0मौ0–खजुरन, परगना–गड़वारा
तहसील–बदलापुर, जिला–जौनपुर
वीरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी बनाम ग्राम पंचायत

## आदेश

प्रस्तुतवाद वीरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी पुत्र रामयज्ञ द्विवेदी सा0मौ0 खजुरन, परगना गड़वारा, तहसील बदलापुर, जिला जौनपुर द्वारा ग्राम खजुरन, परगना गड़वारा की आराजी नं0 17/2/0.130हे0, 18/2/0.081हे0, 23/2/0.232हे0, 16/0.393हे0, 19/0.061हे0, 20/0.287हे0, 22/0.522हे0 के बावत् ग्राम पंचायत जरिये ग्राम प्रधान/चेयरमैन भू0प्र0स0 ग्राम खजुरन व उ0प्र0 सरकार जरिये जिलाधिकारी जौनपुर को प्रतिवादी बनाते हुये धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 अन्तर्गत इस अभिकथन के साथ प्रस्तुत किया है कि आराजी निजाई के मालिक काबिज भूमिधर हम वादी हैं। आराजी निजाई में प्रार्थी का हिस्सा 1.706हे0 है। जिसमें 0.822हे0 पर प्रार्थी का विद्यालय भवन बन रहा है। लगभग 80 प्रतिशत विद्यालय भवन बनकर तैयार है। अन्त में अनुरोध किया है कि आराजी निजाई में से 0.822हे0 अकृषिक घोषित किया जाय। पत्रावली जॉचकर रिपोर्ट हेतु तहसीलदार बदलापुर को भेजी गयी।

तहसीलदार बदलापुर द्वारा जॉच रिपोर्ट दिनांक 04.10.2016 को इस आशय का प्रेषित किया है कि ग्राम खजुरन, परगना गड़वारा, तहसील बदलापुर जिला जौनपुर में स्थित आराजी नं0 16/0.393हे0, 19/0.061हे0, 20/0.287हे0, 18/2/0.081हे0 भूमि पर विद्यालय भवन आदि बना है। आराजी नम्बरान को धारा 80 के तहत् अकृषिक घोषित करने की संस्तुति की गयी है। वादी द्वारा भूमि की मालियत का 1 प्रतिशत यानी 20500 रूपये जमा किया गया है। जिसकी चालान की प्रति पत्रावली में संलग्न है।

मैनें वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार बदलापुर की रिपोर्ट से सहमत होते हुये ग्राम खजुरन, परगना गड़वारा, तहसील बदलापुर जिला जौनपुर में स्थित आराजी नं0 16/0.393हे0, 19/0.061हे0, 20/0.287हे0, 18/2/0.081हे0 को अकृषिक घोषित करते हुये लगान से मुक्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक बदलापुर को भेजी जाय। परवाना जारी हो वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(ममता मालवीय)
उपजिलाधिकारी
बदलापुर,जौनपुर

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक एन0ओ0सी0/ /2017–18 दिनांक 14/6/2017

विषय : श्री आर0पी0 इण्टरनेशनल स्कूल खजुरन ढेमा बदलापुर जौनपुर को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपयुर्क्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :–

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदो से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियो का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियो की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।
6. कर्मचारियो की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।
7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9. उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा, और किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(ओंकार शुक्ल)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

पृ0सं0/एन0ओ0सी0/ 2409-16 /2017–18 दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. आयुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी।
3. जिलाधिकारी जौनपुर।
4. शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0 लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर।
6. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
7. प्रबन्धक, श्री आर0पी0 इण्टरनेशनल स्कूल खजुरन ढेमा बदलापुर जौनपुर।
8. गार्ड फाइल हेतु।

14/06/17

(ओंकार शुक्ल)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर ।

सेवामें, पुरस्कृत
**श्री आर0पी0 इण्टरनेशनल**
**स्कूल खजुरन ढेमा, बदलापुर**
**जौनपुर**

पत्रांक/मान्यता/ 22570 /2018–19 दिनांक 25/01/2019

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन **अंग्रेजी माध्यम** विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय,

जांच अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या/संस्तुति तथा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल वाराणसी के अनुमोदन दिनांक 07.01.2019 के उपरान्त उ0प्र0 शासन, लखनऊ शिक्षा अनुभाग–6 आदेश संख्या–419/79–6–2013–18(20)/91 दिनांक 08 मई 2013 के अनुक्रम में आप के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से **श्री आर0पी0 इण्टरनेशनल स्कूल खजुरन ढेमा, बदलापुर जौनपुर** को 25.01.2019 से 24.01.2022 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए **नर्सरी से कक्षा 08** तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैः–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है ।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 01 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा मे), उस कक्षा में बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा ।
   - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
   - किसी भी बालक को शारीरिक दंण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
   - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी।
   - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
   - अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
   - अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परंतु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगें।
   - अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यो का पालन करता है ; और
   - अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन–क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे ।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविर्निदिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं–'

   विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल ।
   कुल निर्मित क्षेत्रफल ।
   क्रीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल ।
   कक्षाओं की संख्या ।
   प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडारागार के लिए कक्ष ।

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय ।
पेय जल सुविधा ।
मीड–डे–मील पकाने के लिए रसोई ।
बाधारहित पहुंच ।
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता ।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चाटर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किये जानें चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आप के विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक **X** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समूचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करनें या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध तन्त्र द्वारा प्रस्तुत पत्रजात /अभिलेख किसी भी स्तर पर कूट रचित अथवा फर्जी अथवा दूषित पाये जाने पर नियमानुसार मान्यता प्रत्याहरित करने की कार्यवाही की जायेगी।
19. विद्यालय संचालन मे आने वाला व्यय विद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा अपने निजी स्रोतों से वहन किया जायेगा ।

भवदीय

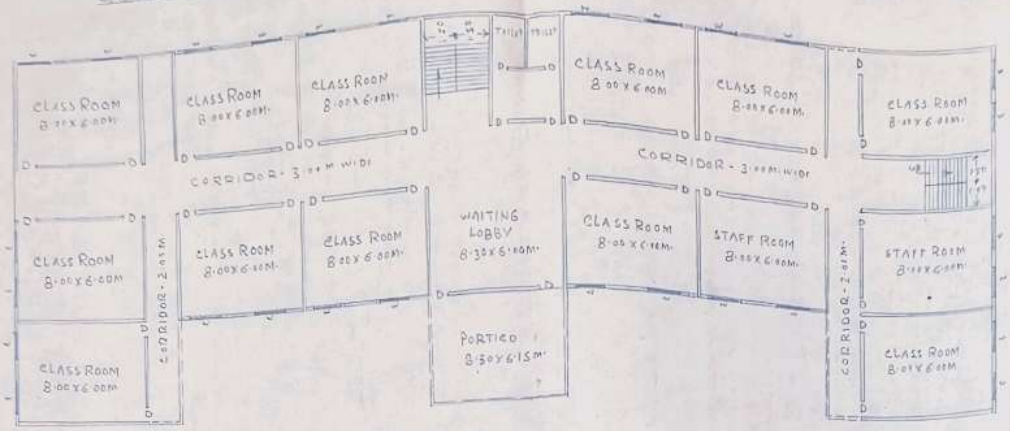
**(राजेन्द्र सिंह)**
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर ।

पृ0सं0/मान्यता / /2018–19 दिनांक–उक्तवत ।
प्रतिलिपि–निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

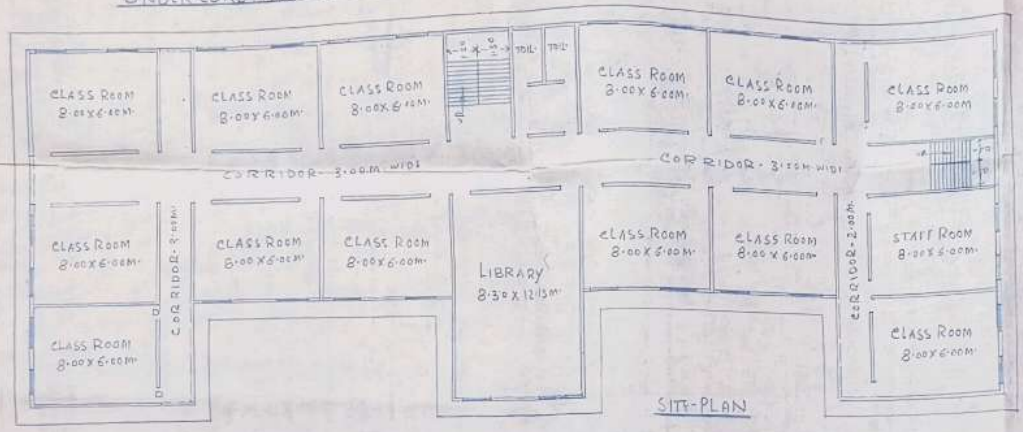
1. सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल वाराणसी।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड /नगर क्षेत्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप विद्यालय का पुन निरीक्षण कर ले और पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो ले कि विद्यालय भवन नेशनल विल्डिंग कोड के मानक के अनुसार निर्मित है। और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय भवन के नेशनल विल्डिंग कोड के अनुसार निर्मित होने का प्रमाण पत्र, निर्गत होने की पुष्टि कर ले, विद्यालय में स्थापित अग्निशमन यंत्र क्रियाशील तथा शासनादेश दिनांक 8.05.2013 के द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति करता है, अन्यथा कि स्थिति में एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।
4. कार्यालय प्रति ।

**(राजेन्द्र सिंह)**
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर ।

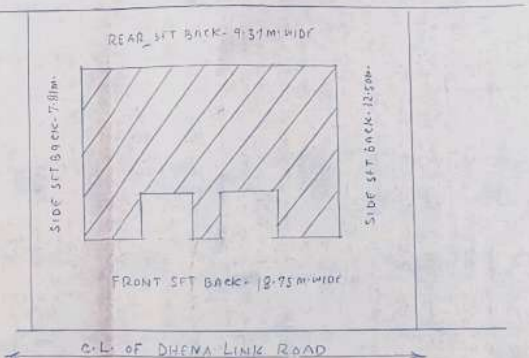
## EXISTING GROUND FLOOR



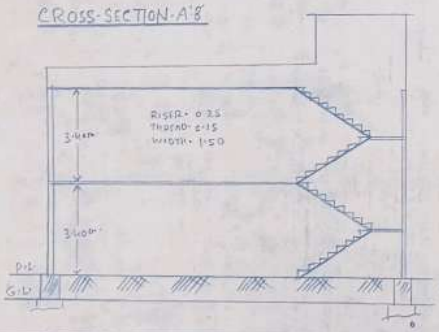

## UNDER CONSTRUCTION FIRST FLOOR




## SITE PLAN




## CROSS SECTION A'B'




# EDUCATIONAL BUILDING PLAN FOR SHREE R.P. INTERNATIONAL SCHOOL (CBSE)

AT VILLAGE - KHAJURAN, POST - DHEMA
TAHSIL - BADLAPUR, DISTT - JAUNPUR

### AREA CHART

| GROUND FLOOR |
|---|
| COVERED AREA - 1152.35 M² |
| FIRST FLOOR |
| COVERED AREA - 1152.35 M² |

N

MOHD MUSHTAQ
LICENSE DRAFTSMAN
L NO. D 1454
ADDRESS PLAN - MUNNUR

## भवन सम्बंधी प्रमाण–पत्र

पत्रांक 127/16 दिनांक 29/11/16 का संलग्नक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर0पी0इण्टरनेशनल स्कूल खजुरन ढेमा बदलापुर जौनपुर, के भवन के संलग्न फोटोग्राफ के अनुसार वर्तमान में निर्मित कक्ष नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के प्राविधानिक भूकम्परोधी मानक के अनुसार निर्मित है।

29-11-16
सहायक अभियन्ता
प्रा0खण्ड लो0नि0वि0
जौनपुर।